LL.B. 5 Year & 3 Year IInd semester

Subject - Human Rights, and International Law

Unit - I

Human Rights - meaning and evolution of human rights Human rights in Indian tradition ancient medieval and modern Human rights in eastern tradition Concept of natural Law Concept of natural rights not evolution and human rights Human in legal tradition - International Law and National Law

Scanned with CamScanner

Human Rights

मानव अधिकार तुलनात्मक रूप से नया पद है जो द्वितीय महायुद्ध और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पश्चात प्रचलित हुआ। आज इसे मूल अधिकार, आधारभूत अधिकार, या प्राकृतिक अधिकार के रूप में भी जाना जाता है। सार्वभौमिक मानव अधिकार की संकल्पना सभी के लिये समान है; मूलवंश, जाति, रंग, लिंग, भाषा या धर्म के भेदभाव के बिना हेरोल्ड लास्की के अनुसार, "अधिकार मानव जीवन की ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके बगैर सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता"। मनुष्य के लिये जहाँ रोटी, कपड़ा और मकान अपरिहार्य है वहीं इसके साथ कतिपय ऐसी अन्य चीजें हैं जो आधुनिक मानव समाज के लिये अत्यन्त आवश्यक है और इसमें मानवाधिकार भी शामिल है। अतः मोटे तौर पर मानवाधिकार को हम वे अधिकार कह सकते हैं जो एक मानव होने के नाते मिलने चाहिये, वे अधिकार जो उसमें मानव होने के नाते अन्तर्निहित है, वे अधिकार जो एक मानव के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिये आवश्यक है। संक्षेप में वे अधिकार जो मानव को 'पशु' और 'मूरख' से मुक्ति दिलाने के लिये आवश्यक है, मानवाधिकार कहे जा सकते हैं।

प्राचीन काल से ही राजाओं, सामन्तों और शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा मानव जाति का शोषण किया जाता रहा है, वे मनुष्यों को तरह तरह की यातनायें देते थे जैसे -- चोरी के अपराध के लिये हाथ काट देने से लेकर राजद्रोह के लिये मृत्यु दण्ड की सजा और मृत्यु दण्ड भी ऐसा कि मनुष्य को आरे से दो भाग में काट देना या उबलते तेल या पानी में उसे फेंक डाल देना। ऐसे दण्डों और उत्पीड़न के विरुद्ध मानव हमेशा से संघर्ष करता रहा है और जहाँ-जहाँ और जब-जब उसे अवसर मिला वहाँ-वहाँ उसने राजाओं और शासकों के अधिकार कम करायें यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि एक तरह से सभ्यता का इतिहास स्वतन्त्रता और शक्ति के बीच संघर्ष का इतिहास रहा है।

Scanned with CamScanner

मानवाधिकार : उत्पत्ति और विकास (Human Rights : Origin and Development)

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background)

मानवाधिकार की उत्पत्ति और विकास दो स्तरो : राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई है। गैर अन्तर्राष्ट्रीय फलक (स्तर) पर कुछ सीमा तक मानवाधिकार के संरक्षण की जड़े बेबीलोनियन विधियो (Babylonian Laws) जो लैगास के युरुकागीना (3260 ई०पू०) अक्कड के सारगोन (2300 ई०पू०) और बेबीलोन के हम्मूराबी (1792-1750 ई०पू०) के शासन काल मे प्रख्यापित (Promulgated) की गई थी में खोजी जा सकती है। इसी प्रकार मानवाधिकार के सरक्षण की जड़े एस्सीरियन विधियों (Assyrian Laws) जो टिग्लत-पाइलेशर I (1115-1077 ई०पू०) के शासनकाल मे और हित्ताइट विधियो जो राजा टेलपीनस के शासन काल में प्रख्यापित की गई थी में खोजी जा सकती है। प्राचीन भारत भी इससे अछूता नही था। वेदकाल (Vedic period) के धर्म (1500-500 ई०पू०) भी मानवाधिकार का संरक्षण करते थे। इसी प्रकार चीन के लाओ जे (जन्म 604 ई०पू०) और कनफ्यूसियस (550-51-478 ई०पू०) के विधिशास्त्र में भी इसे पाया जा सकता है। यूनान के नगर राज्यों ने अपने नागरिकों को बराबर की वाक स्वतन्त्रताये (equal freedom of speech isogoria), विधि के समक्ष समानता (equality before Law - isonomia), मताधिकार (the right of vote - jus suffragii) सार्वजनिक पदों पर चुने जाने का अधिकार (the right to be elected to public office - jus honorum), व्यापार का अधिकार (the right to trade - jus commercii), न्याय प्राप्त करने का अधिकार (the right of access to justice - jus actionis) प्रदान किया। मानवाधिकार के संरक्षण की जड़े रोमन विधि की सिविल विधि (civil Law - jus civil) और राष्ट्रों की विधि (Law of nations - jus gentium) मे भी पाई जा सकती है।

Scanned with CamScanner

मानवाधिकार के अधिकांश विद्यार्थी इसकी जड़े प्राचीन यूनानी और रोमन विधियो जो तत्समय यूनानी स्टोइसिज्म (दर्शनशास्त्र की एक शाखा जिसे सिटियम के जेनो ने स्थापित किया था) के नैसर्गिक विधि सिद्धान्तो से जुड़ी हुई थी मे पाते है।

स्टोइसिज्म के अनुसार - सभी रचना (creations) में एक विश्वव्यापी शक्ति व्याप्त है, अतः सभी मानवीय आचरण को नैसर्गिक विधि के अनुसार आँकना चाहिए और उसी के संगति मे भाष्या जाना चाहिये। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण यूनानी साहित्य में एन्टीगोन (Antigone) का मामला है। क्रियोन (Creon) ने उसे आदेश दिया था कि वह अपने हत्यारे भाई को न दफनाये। इसकी अवहेलना किये जाने पर जब क्रियोन ने उसे फटकारा तो उसने दृढ़तापूर्वक कहा उसने ऐसा अपरिवर्तनीय दैवी विधि के अनुसार किया है।
रोमन विधि भी नैसर्गिक विधि सिद्धान्त से ओतप्रोत थी। रोमन विधि में राष्ट्रो की विधि [illegible] की बात ऊपर की जा चुकी है। इसके अनुसार नागरिकता के अधिकार के ऊपर भी लोगो को कतिपय विश्वव्यापी अधिकार दिये गये।
रोमन विधिशास्त्री अल्पियन के अनुसार नैसर्गिक विधि वह थी जो प्रकृति न कि राज्य मानव मात्र को सुनिश्चित करती थी चाहे वह रोमन नागरिक हो या न हो।
जब धार्मिक असहिष्णुता और राजनैतिक दासता के प्रति प्रतिरोध प्रारम्भ हुआ तभी स्वतन्त्रता और समानता और विशेष रूप से सम्पत्ति के प्रयोग और स्वामित्व की उदार धारणा के लम्बे परिवर्तन का दौर प्रारम्भ हुआ यही से जिसे हम आगे मानवाधिकार कहते है कि आधारशिला वास्तव में रखी गई। इसी दौरान शासको द्वारा प्राकृतिक विधि की बाध्यताओं को पूरा करने में असफलता, अप्रत्याशित वैयक्तिक अभिव्यक्ति (individual expression) और पुर्नजागरण के एक ~~विशेषतः~~ विशिष्टता के रूप में सांसारिक अनुभव के कारण नैसर्गिक विधि

Scanned with CamScanner

कर्तव्य के रूप में से नैसर्गिक विधि अधिकार के रूप में From natural law duties to natural law as rights) बदलाव आया। इसके साक्ष्य के रूप में यूरोपीय महाद्वीप में थामस एक्वीनास (1224/25-1274) और ह्यूगो ग्रोशस (1583-1664) के विचारों (teachings) को और इंगलैण्ड में मैग्नाकार्टा (magna carta) पेटीशन आफ राइटस और बिल आफ राइटस को लिया जा सकता है।

Scanned with CamScanner

स्वतन्त्रताओं के घोषणापत्र (Charters of Liberty)
मैगनाकार्टा, 1215, पेटीशन आफ राइट्स (Petition of Rights) 1628, हैबियस कारपस एक्ट (Habeas Corpus Act) 1679, बिल आफ राइट्स (Bill of Rights) 1689,

मैगनाकार्टा 1215, राजा जान (King John) पर उसके राज्य के प्रीलेट्स (Prelates), अर्लस (Earls) और बैरनस (Barons) द्वारा इसके फ्रान्स के राजा के हाथों हार के पश्चात आरोपित किया गया था। स्वतन्त्रता की यह घोषणा तत्कालीन समुदाय के विभिन्न वर्गों के अधिकारों की बात करती थी। यथा: चर्च (गिरिजाघर) होंगे, लंदन तथा अन्य नगर अपनी स्वतन्त्रताओं और प्रथाओं का उपयोग (प्रयोग) कर सकेंगे व्यापारियों के ऊपर अन्यायोचित कर नहीं लगाये जायेंगे आदि इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपखण्ड 39 है, जो प्रतिपादित करता है कि किसी स्वतन्त्र व्यक्ति को तब तक कैदी नहीं बनाया जायगा अन्यायपूर्ण तरीके से बेदखल नहीं किया जायेगा, या उसे अन्य किसी तरीके से मार नहीं डाला जायगा जब तक कि ऐसा कार्य हाउस आफ लार्ड्स के सदस्यों के निर्णय या स्थानीय विधि (Law of the Land) द्वारा अनुलोम न हो और न ही किसी को न्याय से वंचित किया जायेगा।

पेटीशन आफ राइट्स (Petitions of Rights) की अनुमति चार्ल्स प्रथम ने 1628 में दी थी। यह एक संसदीय घोषणा है जिसमें लोगों की स्वतन्त्रताओं की बात की गई है। उदाहरण स्वरूप किसी के ऊपर संसद की अनुमति के बिना न तो नृतन आरोपित किया जायगा और न ही करारोपण किया जायगा। मनमाने ढंग से किसी को कैदी नहीं बनाया जायगा। शांति के समय किसी के ऊपर मार्शल ला कमीशन का उपयोग नहीं किया जायगा। यदि किसी को जेल भेज दिया गया है तो या तो उसकी जमानत कर दी जायगी या उसे छोड़ दिया जायगा और न्यायाधीश राजा के आदेशों पर कोई ~~ध~~ ध्यान नहीं देंगे।

Scanned with CamScanner

हेबियसकारपस अधिनियम Habeas Corpus Act- offically tiled as 6 चार्ल्स द्वितीय द्वारा 1679 में अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम प्रधानतया कैदियों से सम्बन्धित था जिन्हें आपराधिक अभियोग में बन्दी बनाया गया था। आपराधिक अभियोग में बन्दी व्यक्ति के कारावास (कैद) की वैधता का शीघ्रातिशीघ्र विचारण हो, इस बात की व्यवस्था कर इस अधिनियम ने देश की प्रजा के स्वतन्त्रताओं की रक्षा को प्रभावी बनाया। इस नियम के अधीन बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका (habeas corpus writ) जारी की जायगी चाहे लार्ड चान्सलर के द्वारा या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा

<u>बिल आफ राइटस</u> (Bill of Rights: officially titled as An Act for Declaring the Rights and Liberties of the subject and for settling the Succession of the Crown) 1689 में अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम उस अवसर पर अधिनियमित किया गया जब ओरेन्ज के विलियम और मैरी स्टूअर्ट (William of Orange and Mary Stuart) इंगलैन्ड की राजगद्दी पर बैठे थे। इस बिल (अधिनियम) का उद्देश्य था 1679 के हेबियस कारपस अधिनियम को विस्थापित करना ताकि वह अपने सुधरे रूप में उन लोगों को भी लाभ पहुंचा सके जिन्हें आपराधिक आरोपों से अन्यथा आरोपों में बन्दी बनाया गया था। इसमें वह सीमा निर्धारित कर दी गई जिसके अन्तर्गत राजा निर्णय लेंगे। इस बिल के द्वारा राजा के विधि के निलम्बन की शक्ति (Suspending Power) या विधिक प्राधिकारी के [illegible] द्वारा विधि के निष्पादन को निलम्बित करने की शक्ति को धिक्कारा गया और उपबन्ध किया गया कि राजा ऐसा संसद की अनुमति के बिना नहीं कर सकता।

Scanned with CamScanner

नैसर्गिक विधि की आधुनिक संकल्पना : मानवाधिकार नैसर्गिक अधिकार के रूप में (Modernist Conception of Natural Law: Human Rights as Natural Rights)

यह प्रधानतया 17 वी और 18 वीं सदी थी जिसने नैसर्गिक विधि या इसमें अन्तर्निहित नैसर्गिक अधिकारों की संकल्पना को जन्म दिया। 17 वी सदी की वैज्ञानिक और बौद्धिक उपलब्धियों, गैलिलियो और आइजक न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों, थामस हाब्स के भौतिक वाद, रेने डिसकार्टिस (Rene Discartis) के बुद्धिवाद (rationalism) एवं फ्रांसिस बेकन (Fracis Bacon) और जान लाक (John Locke) के अनुभव वाद (empiricism) तथा स्पिनोजा (Spinoza) के विचारो आदि ने नैसर्गिक विधि और विश्वव्यापी व्यवस्था मे आस्था को प्रोत्साहित किया। 18 वी सदी के दौरान जिसे ज्ञानोदय का युग कहा जाता है; मानव विवेक मे बढ़ता हुआ विश्वास और मानवीय क्रियाकलापों में पूर्णीयता (Perfectibility) ने उसे और भी विस्तृत अभिव्यक्ति दी इस सम्बन्ध मे 17 वी शताब्दी के अंग्रेज दार्शनिक जान लाक (John Locke) जिन्हे आधुनिक युग का सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक विधि विचारक कहा जा सकता है की लेखनी तथा 18 वी शताब्दी के दार्शनिक (जो प्रधानतया फ्रांस मे केन्द्रित थे) जिसमे मान्टेस्क्यू (Montesquieu) वाल्टेयर (Voltaire) और जीन जैक्स रूसो (Jean Jacques Rousseau) आदि सम्मिलित है, के कृत्य (Works) विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

1688 की क्रांति से सम्बद्ध अपनी लेखनी मे जान लाक ने इस बात की विस्तृत तरीके से विवेचना की कि कतिपय अधिकार स्पष्ट रूप से व्यक्ति को मानव मात्र होने के नाते उपलब्ध है। क्योकि वे नैसर्गिक स्थिति मे (in state of nature) विद्यमान थे - मानवता के नागरिक समाज में प्रवेश से पूर्व और इनमें से मुख्य है, जीवन का अधिकार, स्वतन्त्रता का अधिकार और सम्पत्ति का अधिकार, जब मानवता ने नागरिक जीवन civil society मे प्रवेश किया। सामाजिक संविदा के अनुपालन में (Pursuant to social contract) तो उसने राज्य के पक्ष मे इन अधिकारो के प्रवर्तन (enforcement) मात्र को अभ्यर्पित (surrender) किया न कि स्वयं अधिकारो को

वह राज्य जो इन आरक्षित (reserved) अधिकारों को सुनिश्चित न कर सके (राज्य स्वयं उस संविदा के अधीन है कि वह अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करे) तो वह एक जिम्मेदार और लोकप्रिय क्रांति को जन्म देता है।

सामाजिक संविदा का सिद्धान्त (Theory of Social Contract)

इसी क्रम में एक दूसरा कारक जिसने मानवाधिकार की संकल्पना को जीवित रखा और उसके विकास में नई शक्ति फूकी वह था सामाजिक संविदा का सिद्धान्त। इस सिद्धान्त ने 17वीं और 18वीं सदी में राजनैतिक रूप से उन वैचारिक व्यवस्थाओं में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया जो मध्यस्थित में परिस्थिति चाहते थे और जिसमें लोगों की सम्प्रभुता और मानवाधिकार के मान्यता की बात अन्तर्निहित थी। सामाजिक संविदा के सिद्धान्त का मूल तत्व यह है कि आदिकाल में जब सभ्यता का विकास नहीं हुआ था। सामाजिक संविदा के सिद्धांत का मूल तत्व यह है कि आदिकाल में जब सभ्यता का विकास नहीं हुआ था और न तो उसकी कोई सरकार थी और न विधि। मनुष्य स्वच्छन्द था। इस स्थिति को हाब्स ने प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध युद्ध की संज्ञा दी। इसके अन्तर्गत मनुष्य का जीवन एकाकी, गरीब, गन्दा, क्रूर तथा छोटा था आत्मसंरक्षण नैसर्गिक विधि का मूल पाठ था। स्वच्छन्द जीवन से ऊबकर मनुष्य ने अपने सम्पत्ति, जीवन की रक्षा के लिये एक करार किया जिसे "एका का करार" (pactumunionés) कहा गया और इस प्रकार समाज अस्तित्व में आया। उन्होंने एक दूसरे का आदर करना और शांति से रहने का वचन दिया। इस तरह उन्होंने दूसरा करार किया। इसके अन्तर्गत उन्होंने एक प्राधिकारी की आज्ञा का पालन करने का वचन दिया या स्वयं द्वारा चुनी हुई सरकार के आदेशों को पालन करने का वचन दिया दूसरे करार को अधीनता का करार (pactum subjections) कहा गया।

इसके अन्तर्गत लोगों ने अपने कुछ अधिकारों एवं स्वतन्त्रताओं को अंशतः प्राधिकारी के पक्ष में अभ्यर्पित (surrender) कर दिये और बदले में प्राधिकारी से अपने जीवन, सम्पत्ति और स्वतन्त्रता की सुरक्षा चाही। इस तरह सरकार, सम्प्रभु या शासक अस्तित्व में आया।

नैसर्गिक अधिकार के निर्माण में लाक ने सामाजिक संविदा के सिद्धान्त का प्रयोग बड़े ही सुस्पष्ट शब्दों में किया है। सामाजिक संविदा के पहले के काल (नैसर्गिक अवस्था) को लाक ने हाब्स की भाँति नहीं व्यक्त किया। वह कहते हैं कि वह काल सुनहरा काल (Golden Age) था। परन्तु इस स्वर्ग सरिखे काल में एक चीज की कमी थी वह थी सम्पत्ति की सुरक्षा। सम्पत्ति असुरक्षित थी। इसी कमी को दूर करने के लिये व्यक्ति ने सामाजिक संविदा के माध्यम से अपने नैसर्गिक अवस्था को छोड़ा और अपनी स्वतन्त्रता को अंशतः सम्प्रभु के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिया। लाक के अनुसार सरकार का उद्देश्य मानव हकों (entitlement) की रक्षा करना है।

उपरोक्त बौद्धिक उत्तेजना (ferment) ने 18वीं शदी के अन्त और 19वीं शदी की पश्चिमी दुनिया (Western world) पर प्रभावशाली ढंग से अपनी छाप छोड़ी। इसने इंगलैण्ड की 1688 की क्रांति (जिसका परिणाम बिल आफ राइट्स में हुआ) तथा क्रांतियों की अन्य लहर (waves) के लिए बुद्धि संगत आधार प्रदान किया जिससे पश्चिम, मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका और फ्रांस अछूता नहीं रहा। जान लाक की राजनैतिक विचारधारा ने न केवल इंगलैण्ड को प्रभावित किया अपितु यह फ्रान्स में रूसो और रूसो के माध्यम से फ्रांसीसी क्रांति को लपेट लिया, यह उत्तरी अमेरिकी उपनिवेशों में घुसी और सेमुअल अडम्स (Samual Adams) और थामस जेफरसन (Jefferson) के माध्यम से स्वतन्त्रता की अमेरिकी घोषणा में चली गई।

Scanned with CamScanner

10

अमेरिकी क्रान्ति (American Revolution) अमेरिकी क्रांति काल, 1763 से लेकर 1788 तक इतिहास का एक अति महत्वपूर्ण काल था यह यह सर्जनात्मक विचारो और गतिशील आशाओ का काल था। यह काल स्वतन्त्रता की घोषणा (Declaration of Independence) वर्जीनिया बिल आफ राइट्स (Virginia Bill of Rights), पेनसिल्वेनिया के संविधान (अपने प्रारम्भिक अधिकारों की घोषणा के साथ) का साक्षी है। अमेरिकी क्रांतिकारियों ने एक दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त कर और राजनैतिक सिद्धान्तवादियों (Political theorists) से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होकर 12 जून 1776 को वर्जीनिया बिल आफ राइट्स (Virginia Bill of Rights) अंगीकार किया। इस बिल आफ राइट्स में उन्होंने घोषणा की कि प्रकृतित: सभी व्यक्ति मुक्त और स्वतन्त्र है, वे कतिपय अन्तर्निहित (inherent) अधिकार रखते है। जैसे जीवन और स्वतन्त्रता के उपयोग का, सम्पत्ति अर्जित करने और धारित करने का तथा सुरक्षा प्राप्त करने का।

4 जुलाई 1776 को संयुक्त राज्य अमेरिका के 13 राज्यों के सर्वसम्मत से अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा (Declaration of Independence) जारी किया। इस घोषणा मे यह कहा गया कि हम यह मानते है कि वह स्वयंस्पष्ट सत्य है कि सभी व्यक्ति समान पैदा होते है, कि उनका सृजनकर्ता उन्हे कतिपय असंक्रमणीय अधिकार प्रदान करता है। और इन अधिकारो मे है, जीवन का अधिकार, स्वतन्त्रता का अधिकार, सुख प्राप्ति का अधिकार, यह कि इन अधिकारो को सुनिश्चित करने के लिये लोगो द्वारा सरकार स्थापित की जाती है जो अपना न्यायोचित शक्ति शासित की सम्मति से प्राप्त करती है यह कि जब कभी कोई सरकार इन लक्ष्यो की विध्वंसक हो जाती है,

Scanned with CamScanner

लोगों का यह अधिकार है कि वे इसमें परिवर्तन कर दे या समाप्त कर दे और उसकी जगह नई सरकार स्थापित कर दे।
15 दिसम्बर 1791 को अमेरिकी संविधान के प्रथम दस संशोधन किये गये जिन्हे बिल आफ राइट्स (Bill of Rights) के नाम से जाना गया और जो अमेरिकी संविधान के अंग बने। इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के अधिकारों की बात की गई प्रमुख रूप से, लोगों की धार्मिक स्वतन्त्रता प्रेस की स्वतन्त्रता, शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होने की स्वतन्त्रता, अपनी शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार को याचिका प्रस्तुत करने की स्वतन्त्रता

बिल आफ राइट्स के बारे मे । थामस जेफरसन ने लिखा कि एक बिल आफ राइट्स वह है जिसके हकदार सभी लोग प्रत्येक सरकार के विरूद्ध है जो इस धरती पर है (चाहे सामान्य या विशिष्ट) और जिन्हे किसी न्यायप्रिय सरकार को अस्वीकार नही करनी चाहिये।

फ्रांसीसी क्रांति (French Revolution) फ्रांसीसी क्रांति का एक प्रमुख कारण फ्रान्सीसी राज्य व्यवस्था के हाथों लोगों के साथ आर्थिक और सामाजिक अन्याय किया जाना था। ये अन्याय लोगों की बरदास्त से बाहर हो गये थे इस सीमा तक कि ये दार्शनिक के व्यंग्यात्मक टिप्पणी के विषय बन गये थे परन्तु स्थिति मे कोई परिवर्तन नही हुआ और अन्याय जारी रहे। परन्तु जब पानी सर के ऊपर से बहने लगा और प्रत्यक्ष संघर्ष की स्थिति आ गई तो अगस्त 27, 1789 को फ्रांस के लोगो के प्रतिनिधियो एक राष्ट्रीय एसेम्बली (national assembly) का गठन कर लिया। उन्होने यह माना की अज्ञानता, उपेक्षा या मानवाधिकार के प्रति अवमानना (Contempt) सरकारी भ्रष्टाचार और लोक दुर्भाग्य का एक मात्र कारण था उन्होने नैसर्गिक (natural) अहस्तान्तरणीय (imprescriptible) और असंक्रमणीय (inalienable) अधिकारो की विधिवत घोषणा का एक संकल्प लिया।

Scanned with CamScanner

12

मानव और नागरिकों के अधिकारो की घोषणा के लिये जिस फारमूला को उन्होने चुना वह रूसो के दर्शन से पूर्ण रूप से प्रभावित था "मानव अधिकारो" की घोषणा ने उन अधिकारो को प्रतिपादित किया जो उनके अनुसार उन्हे पूर्ववर्ती शासको ने अस्वीकार किया था घोषणा ने राष्ट्र के सम्प्रभु अधिकारो तथा स्वतन्त्रता, समानता, स्वामित्व, मत और विधान तथा करारोपड़ पर नियंत्रण, जूरी ट्रायल तथा मानव गरिमा और आदर्श को न्यायोचित ठहराने सम्बन्धी नैसर्गिक अहस्तान्तरणीय और असंक्रमणीय अधिकार का प्रतिपादन किया। उन्होने घोषित किया कि मनुष्य स्वतन्त्र पैदा होता है, स्वतन्त्र और समान अधिकारों के साथ रहता है सभी राजनैतिक संघो का उद्देश्य होता है, मानव के नैसर्गिक और असंक्रमणीय अधिकारो की पुष्टि, ए अधिकार है स्वतन्त्रता, सम्पत्ति, सुरक्षा एवं उत्पीड़न के विरूद्ध प्रतिरोध। स्वतन्त्रता के दो आयाम वैयक्तिक स्वतन्त्रता और विचार की स्वतन्त्रता की विस्तृत विवेचना की गई थी।

मानव अधिकारो की फ्रांसीसी घोषणा 1789 ने जो संदेश दिया वह जंगल की आग की तरह पूरे यूरोप मे फैल गया और लार्ड ऐक्टन (Lord Action) के शब्दो मे इसका एक अति भ्रमित पृष्ठ वाचनालयो से ज्यादा वजनदार है और नेपोलियन की पूरी सेना ज्यादा शक्तिशाली है। मानव अधिकार का यह फ्रांसीसी घोषणापत्र मानवाधिकार के विकास मे मील का एक पत्थर बन गया।

अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व मानवाधिकार सभी व्यवहारिक उद्देश्यो के लिये केवल एक दार्शनिक अपील के रूप मे था किन्तु अमेरिकन संवैधानिक बिल आफ राइट्स और फ्रांसीसी मानव अधिकार की घोषणा के पश्चात यह वास्तविक महत्व का विषय बन गया। इस घोषणा पत्र के पश्चात अंगीकार किये गये पश्चिम यूरोप, पूर्वी यूरोप, सोवियत यूनियन एशिया और दुनिया के अन्य भागो के संविधानो ने मानवाधिकार से सम्बन्धी उपबन्ध किये।

Scanned with CamScanner

उदाहरण स्वरूप बेलजियम संविधान, 1831, फ्रांसीसी संविधान 1946 फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी का संविधान, 1949, चेकोस्लोवाक सोसलिस्ट रिपब्लिक का संविधान 1960, सोसलिस्ट फेडरल रिपब्लिक आफ यूगोस्लेविया का संविधान, यू० एस० एस० आर० (सोवियत यूनियन) का संविधान, भारत का संविधान आदि।

अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर विकास (Development on International Plane)

अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार का विकास संधियों के माध्यम से हुआ है। मानव अधिकार से सम्बन्धी प्रावधान पाये जाते हैं –

आग्सबर्ग (Augsburg) की संधि, 1555 में जिसमे धार्मिक स्वतन्त्रता की बात की गई

वेस्टफालिया (Westphalia) की शांति संधि 1648 में जिसमे ईसाई पंथ के धार्मिक स्वतन्त्रता की व्यवस्था है, निमेजेन (Nymegen) और रिसविक की संधि क्रमशः 1678 और 1679 में जिसमें छोड़े गये (ceded) क्षेत्र के धार्मिक स्वतन्त्रता की बात की गई है, ओलीवा (Oliva) की संधि 1660 में जिसमे भी छोड़े गये क्षेत्र के धार्मिक स्वतन्त्रता की व्यवस्था की गई है,

कुचुक कैनारजी (Kutchuk Kainardji) की संधि, 1774 में जिसमें टर्की के ईसाई अल्प संख्यकों के रक्षा की बात की गई है,

कांग्रेस आफ वियना (Congress of Vienna) नामक संधि 1815 में, जिसमें पोल (Polish) जनसंख्या के अल्पसंख्यक अधिकारो को संरक्षण प्रदान की गई है;

दी एक्ट आफ दी फेडरल कांस्ट्रीट्यूसन० आफ जरमनी (प्रथम एक्ट के साथ अनुलग्न), 1815 में, जिसमें यहुदियों के नागरिक और धार्मिक अधिकारों की बात की गई है,

वियना की संधि, 1815 में जिसमें धार्मिक और नागरिक अधिकारो को संरक्षा प्रदान की गई है,

पेरिस की संधि, 1815 में जिसमें क्रीमियन (Crimean) युद्ध के पश्चात वालचिया (Walchia), माल्डेविया (Maldavia) और सरविया (Servia) की जनसंख्या को संरक्षा प्रदान की गई है

जेनेवा अभिसमय (Geneva Convention) 1864 में,

Scanned with CamScanner

।जिसमे बिमार और घायल सैनिको तथा युद्ध बन्दियो को अनुतोष प्रदान किया गया बर्लिन की संधि, 1878 में। जिसमे धार्मिक स्वतन्त्रता और विधिक समता की बात की गई है,

दी जनरल एक्ट आफ बर्लिन कान्फ्रेंस आन सेन्ट्रल अफ्रीका 1855 मे, । जिसमे गुलामो के व्यापार पर प्रतिषेध लगा हुआ है

ब्रुसेल्स (Brussels) कानफ्रेन्स, 1889 मे, जिसमें गुलामों के व्यापार को रोकने से सम्बन्धित उपाय है,

पेरिस की संधि, 1898 मे जिसमे स्पेन द्वारा छोड़े गये पोर्टोरिको और फिलीपीन्स के क्षेत्र (जो अमेरिका के पक्ष मे छोड़े गये थे) के अल्पसंख्यको के संरक्षण से सम्बन्धित प्रावधान है,

हेग अभिसमय (Hague Conventions) 1899 और 1907 मे जिसमे युद्ध के समय घायल सैनिको बन्दियो और नागरिक आबादी के संरक्षण से सम्बंधित प्रावधान

द्वितीय बर्न कान्फ्रेन्स (Berne Confrerence) 1906 मे। जिसमे औद्योगिक नियोजन के दौरान महिलाओ के रात्रि कार्य (nightwork) पर प्रतिबन्ध है।

सन 1919 और 1920 की अल्पसंख्यक संधियों ने भी अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारो की सुरक्षा की गारन्टी दी।

1923 लौसाने की संधि अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारो की संरक्षा

मानवाधिकार और राष्ट्रसंघ (Human Rights and League of Nations) प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय मे तमाम संकल्पनात्मक परिवर्तन दिखने लगे। इस युद्ध के पश्चात ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने मानवाधिकार के बारे में स्थायी और संस्थागत रूप मे गहरी दिलचस्पी लेना प्रारम्भ किया।
राष्ट्रसंघ की प्रसंविदा (Covenant) ने मानवाधिकार का कोई विशेष उल्लेख नही किया। अल्प संख्यको और मैनडेट व्यवस्था से अलग राष्ट्र संघ की प्रसंविदा ने मानवाधिकार का गौड रूप से ही विवेचना की। परन्तु राष्ट्रसंघ के व्यवहार मे आत्म निर्णय (Self determination) के अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के अधिकार के साक्ष्य पाये जाते है। परन्तु इन अधिकारों की किसी व्यक्ति का अधिकार नही माना जा सकता, एक सामूहिक अधिकार है जो किसी समुदाय विशेष या उसके एक भाग को उपलब्ध है। अल्पसंख्यकों के हितो की रक्षा के लिये जो विशेष प्रावधान संधियो मे उल्लिखित थे वे शुद्ध रूप से द्वैपक्षीय प्रावधान नही थे, वे स्पष्ट शब्दो में अन्तर्राष्ट्रीय दिलचस्पी की बात करते थे।
पोलैन्ड के साथ 1919 मे की गई अल्पसंख्यक संधि (Minority treaties) जिसने आस्ट्रिया (Austria) बुलगेरिया (Bulgaria), चेकोस्लोवाकिया (Czechoslovakia), ग्रीस (Greece), रुमानिया (Rumania), टर्की (Turkey) और युगोस्लेविया (Yogoslavia) के साथ की गई संधियो के लिये एक नमूने का काम किया यह अनुबन्ध किया कि ए उपबन्ध "अन्तर्राष्ट्रीय दिलचस्प दिलचस्पी की वाध्यता" का निर्माण करते है और इसे राष्ट्र संघ की गारन्टी मे या जिम्मे कर दिया जाना चाहिये। इस तरह राष्ट्रसंघ के व्यवहार ने संप्रभु सरकारो के अधिकार पर संस्थागत रोकथाम के लिये मार्ग प्रशस्त किया।
मानवाधिकार के सम्बन्ध मे राष्ट्र संघ की उल्लेखनीय उपलब्धियों मे एन्टी स्लेवरी कनवेन्सन (गुलामी की प्रथा के विरोध मे अभिसमय) 1922 को लिया जा सकता है इसके परिणाम स्वरूप इस अभिसमय के सदस्य राज्य अपने क्षेत्र के या अपने प्रभुत्वक्षेत्र मे गुलामी की प्रथा को समाप्त करने के लिये वचनबद्ध है।

Scanned with CamScanner

इस सम्बन्ध के महत्वपूर्ण घटना स्त्रियों एवं बच्चों के दुव्यापार के बारे में एक सलाहकार समिति (advisory Committee) का गठन भी है। स्त्रियों के दुव्यापार से सम्बन्धित समिति ने बड़ा काम किया जिसके परिणामस्वरूप कई देशों में अनुज्ञप्त (Licenced) वेश्यालय समाप्त हुये और विवाह के लिये सम्मति की न्यूनतम उम्र बढ़ाई गई। इस प्रकार बाल कल्याण समिति (Child welfare Committee) ने बाल अधिकारों के जेनेवा घोषणापत्र Geneva Declaration on the Right of the Child) तैयार किया और बहुत से राष्ट्रों को उसे स्वीकार करने के लिये प्रेरित किया। राष्ट्रसंघ ने इस घोषणा को 1924 में अंगीकार किया। 1921 में एक शरणार्थी संगठन अस्तित्व में (Refugee Organization) में आया और नैनसेन (Nansen) जिसके प्रथम उच्चायुक्त (High Commissioner) बने इस संगठन ने तमाम कठिनाइयों के बावजूद जिसमें धन की कमी भी थी दो मिलियन (बीस लाख) शरणार्थियों के पुनर्वास में जाना गया। इस पासपोर्ट ने इन शरणार्थियों को इस बात के लिये समर्थ बनाया कि जहाँ कहीं भी इन्हें पुनर्वास के अवसर मिले एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इस तरह व्यक्तिगत अधिकार की दृष्टिकोण से इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा सकता है। घातक औषधि के दुव्यापार को रोकने के लिये 1925 और 1931 में अधिक प्रभावशाली अभिसमय अंगीकार किये गये। यह भी राज्यों के सेवाधिकार में व्यक्ति के कल्याण के अन्तर्राष्ट्रीय दिलचस्पी का सूचक है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organisation I.L.O) की स्थापना 1919 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी और यह राष्ट्रसंघ से सम्बद्ध था। इसका मूल संविधान वारसाई की शांति संधि 1919 का एक भाग था इस संगठन का बहुत ही पुराना और महत्वपूर्ण काम है अभिसमयों और संस्तुतियों अंगीकार करना। मानवाधिकार के क्षेत्र में कई बहुत ही प्रमुख अभिसमय अंगीकार करके इसने मानवाधिकार के विस्तारण में अपना बहुमूल्य योगदान किया है।

Scanned with CamScanner

बलात या अनिवार्य श्रम से सम्बंधित अभिसमय 1930
संघवनमाते की स्वतन्त्रता और संगठित होने के अधिकार के संरक्षण से सम्बन्धित अभिसमय 1948
संगठित होने का अधिकार और सामूहिक सौदेबाजी अभि० 1949,
समान पारिश्रमिक अभि० 1951
विभेद (नियोजन एवं उपजीविका) अभि० 1958
सामाजिक सुरक्षा अभि० 1962
सामाजिक नीति (मूल उद्देश्य और मानक) अभि० 1962
1962 तथा नियोजन नीति अभि० 1964 आदि प्रमुख है
ये सभी सामाजिक अधिकारो के विस्तारण से सम्बन्धित है।

मानवाधिकार का सार्वभौमीकरण (Universalization of Human Rights)

वास्तविक अर्थों मे मानवाधिकार का सार्वभौमीकरण द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद प्रारम्भ हुआ मानवीय स्वतन्त्रता के प्रति विश्व समुदाय की अन्तर्चेतना द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान जगी अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने सभी लोगो के मानवाधिकार और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति आदर की मान्यता प्रदान किया यह माना गया कि कोई भी यहाँ तक कि न्यूनतम अर्थों मे हिंसा और हिंसा की धमकी से सुरक्षित नही है जब तक की सभी लोग सुरक्षित न हो।

प्रोटेस्टेन्ट धर्मसुधार आन्दोलन, अंग्रेजी, अमेरिकन, फ्रांसीसी मेक्सीन, रसियन और चीनी क्रांतियो के उत्तराधिकारी के रूप मे 20वी सदी के उत्तरार्द्ध ने मानवाधिकार विद्वान लुईस हेनकिन (Louis Henkin) के शब्दो मे सिद्धान्त रूप मे मानवाधिकार के तत्वः विश्वव्यापी स्वीकृति देखी।

20वी सदी के उत्तरार्द्ध को उचित ही मानवाधिकार के अन्तर्राष्ट्रीय तथा विश्वव्यापी मान्यता के जन्म का काल कहते कहते है।

6 जनवरी 1941 के संदेश मे राष्ट्रपति रूसवेल्ट ने चार स्वतन्त्रताओ की विश्वव्यापकिता की संकल्पना को स्पष्ट और दृढता से अभिव्यक्ति किया और अपेक्षा की कि ये भावी विश्व का आधार बने

वाक एवं अभिव्यक्त की स्वतन्त्रता, प्रत्येक व्यक्ति अपने तरिके से ईश्वर की पूजा करने की स्वतंत्रता, भय और अभावो से स्वतन्त्रता, ये चारो स्वतन्त्रताये विश्व मे सभी जगह सभी लोगों के लिए होनी चाहिये वे हमे मानव अधिकार की घोषणा की याद दिलाते है यह घोषणा अन्तर्राष्ट्रीय विधि की संस्था ने 12 अक्टूबर 1929 को वैंरियाहिफ, न्यूमीक मे अंगीकृत किया था इस घोषणा मे कुल 6 अनुच्छेद है। इस घोषणा मे विभिन्न प्रकार के अधिकारो की बात की गई थी।

<u>मानवाधिकार का अन्तर्राष्ट्रीय बिल</u> (International Bill of Human Rights) द्वितीय विश्वयुद्ध से पूर्व और इसके दौरान मानवाधिकार का बहुत बड़े पैमाने पर हनन हुआ अत: संयुक्त राष्ट्रसंघ ने मानवाधिकार के सम्वर्धन और संरक्षण को अपने अति प्रमुख 3 उद्देश्यो मे से एक रखा। पर तत्कालीन कठिनाई यह भी थी कि न तो चार्टर ने मानवाधिकार और मूल स्वतन्त्रता को परिभाषित किया न तो इसके अन्तर्वस्तु का निर्धारण किया और न ही इसके प्रवर्तन की मशीनरी (उपाय) की व्यवस्था की। इसलिये इसकमी को पूरा करने के लिए यह निश्चय किया गया कि मानवाधिकार की एक अन्तर्राष्ट्रीय बिल तैयार की जाय। आर्थिक और सामाजिक परिषद ने (Economic and social Council) जो संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक, सामाजिक मामलो जिसमें मानवाधिकार का सम्वर्धन और पालन भी सम्मिलित है की देख रेख करती है ने यह कार्य मानवाधिकार आयोग को सौंपा।

मानवाधिकार आयोग का गठन आर्थिक और सामाजिक परिषद ने चार्टर के अनु० 68 के अधीन 1946 में किया। मानवाधिकार आयोग का प्रथम अधिवेशन 1947 मे हुआ ज्ञातव्य हो कि मानवाधिकार आयोग का गठन 1946 मे किया गया था

Scanned with CamScanner

मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा - प्रथम चरण (Universal Declaration of Human Rights - First stage)

मानवाधिकार के अन्तर्राष्ट्रीय बिल का प्रथम चरण 10 दिसम्बर 1948 को पूरा हुआ जब संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अंगीकार किया। इसके अन्तर्गत मानवाधिकार की सामान्यतया स्वीकार्य सूची बनाई गई और जिसे "सभी लोगों और सभी राष्ट्रों की प्राप्ति के लिये एक सामान्य मानक के रूप में" उद्घोषित किया गया सार्वभौमिक घोषणा की उद्देशिका के अनुसार यदि मनुष्य को अत्याचार और उत्पीड़न के विरुद्ध अन्तिम अस्त्र के रूप में विद्रोह का अवलम्ब लेने के लिये विवश नहीं किया जाना है तो मानव अधिकारों का संरक्षण विधिसम्मत शासन द्वारा किया जाना चाहिये।" यद्यपि चार्टर ने अपने विभिन्न अनुच्छेदों में मानवाधिकार का उल्लेख किया है परन्तु इसने मानव अधिकारों के अर्थ और अन्तर्वस्तु का विशदीकरण नहीं किया और इस दृष्टि से यह आलोचना का पात्र बना मानवअधिकारों की सार्वभौम घोषणा ने मानव अधिकारों को परिभाषित और सूचीबद्ध करके इस कमी को पूरा करने का प्रयत्न किया और मेरे विचार से घोषणा अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति में कुछ सीमा तक सफल रहा।

मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की अन्तर्वस्तु (Content of the Universal Declaration of Human Rights)

घोषणा एक विस्तृत एवं विषम दस्तावेज है। इसके प्रावधान सारगर्भित शब्दों से युक्त पचास पैराग्राफ में व्यक्त किये गये हैं। अपने 30 अनुच्छेदों में यह घोषणा मूल अधिकारों एवं स्वतन्त्रताओं का विस्तृत वर्णन करता है। प्रत्येक व्यक्ति इस घोषणा में उपवर्णित सभी अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं का हकदार है। इसमें मूलवंश, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य विचार राष्ट्रीयता या सामाजिक उद्भव, सम्पत्ति, जन्म या अन्य प्रास्थिति के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में घोषणा उन तमाम नागरिक, राजनैतिक और धार्मिक स्वतन्त्रताओं का समावेश करता है जिसके लिये लोगों ने लम्बे काल से संघर्ष किया है। यह उन आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का भी उल्लेख करता है जिन्हें अब मान्यता प्राप्त हो रहा है।

Scanned with CamScanner

मानवाधिकार की प्रसंविदायें - द्वितीय-चरण (Covenants on Human Rights - secong - stage)

मानवाधिकार के मानकों को विशदीकरण में मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा 10 दिसम्बर, 1948 को एक प्रारम्भिक कदम माना गया। चूँकि घोषणा एक आबद्धकर दस्तावेज नहीं है अतः यह निश्चय किया गया कि संधि के रूप में विधिक बाध्यताओ वाले ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेज तैयार किये जाय जो संधि के पक्षकारो पर आबद्धकर हो।

मानवाधिकारों की सार्वभौमघोषणा मे प्रतिपादित सिद्धान्तो औरनागरिक तथा राजनैतिक अधिकारो और आर्थिक सामाजिक एवंसास्कृतिक अधिकारों के परस्पर विरोधी सामाजिक दर्शनो के बीच लम्बे विचार विमर्श के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने अपने 21वें अधिवेशन में 16 दिसम्बर 1966 कोसर्वसम्मत से मानवधिकार सम्बन्धी दो अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओ को अंगीकार किया। एक को नागरिक और राजनैतिक अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा कहा गया। इसके साथ-साथ एक आपसनल प्रोटोकोल - ऐच्छिक प्रोटोकोल भी अंगीकार किया गया। दूसरे को आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारो की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा कहा गया। इन प्रसंविदाओ के अंगीकार किये जाने से मानवाधिकार के अन्तर्राष्ट्रीय बिल का दूसरा चरण पूरा हुआ।

मानवाधिकार के प्रवर्तन का तन्त्र - तीसरा-चरण (Enforcement Mechinery of HumanRights - third stage)

दो ही प्रसंविदायें उनमें उल्लिखित मानवाधिकारों के प्रवर्तन या लागू किये जाने (कार्यान्वयन) (implementation) के तन्त्र की विवेचना करती है। आर्थिक, सामाजिक और सास्कृतिक अधिकारो की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा के भाग पाँच (Part V) अनुच्छेद 16 से 23 में मानवाधिकार के प्रवर्तन या कार्यान्वयन के तन्त्र की विवेचना की गई है। इसी प्रकार नागरिक और राजनैतिक अधिकारो की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा के भाग चार (Part IV) अनु० 28 से 45 मे प्रवर्तन या कार्यान्वयन के उपाय बताये गये हैं। मानवाधिकारों के प्रवर्तन के उपायों के प्रावधान तथा प्रसंविदाओ के प्रभावी हो जाने से मानवाधिकार के अन्तर्राष्ट्रीय बिल का तीसरा चरण पूरा हो गया।

Scanned with CamScanner

21

मानवाधिकार के अन्य दस्तावेज (other Instruments of Human Rights)

उपरोक्त घोषणा और प्रसंविदाओं के अतिरिक्त ढेर सारे एक उद्देश्यीय अभिसमय हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के या उसकी विशिष्ट अभिकरणों द्वारा अंगीकार किये गये हैं और जो मानवाधिकार जैसे विकसित होते विषय के साहित्य में वृद्धि करते हैं। इनमें से प्रमुख हैं- नरसंहार अभिसमय (Genocide Convention), 1949, सभी रूपों में जाति विभेद के समापन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय 1965, शरणार्थियों की प्रास्थिति से सम्बन्धित अभिसमय 1951, शरणार्थियों की प्रास्थिति से सम्बन्धित अभिसमय 1954, राज्यहीन व्यक्तियों की प्रास्थिति से सम्बन्धित अभिसमय 1954, राज्य विहीनता कम करने का सम्बन्धित अभिसमय 1961, महिलाओं के राजनैतिक अधिकारों से राष्ट्रीयता से सम्बन्धित अभिसमय 1952, विवाहिता महिलाओं के विवाह की सम्मति, विवाह की न्यूनतम आयु, और विवाह के रजिस्ट्रीकरण से सम्बन्धित अभिसमय 1962, दासता, दास व्यापार और दासता की ही भांति व्यवहार और संस्थाओं के समापन से सम्बन्धित अनुपूरक अभिसमय 1956, मानव दुर्व्यापार और दूसरों के वेश्यावृत्ति के शोषण का उन्मूलन करने सम्बन्धी अभिसमय 1949, रंगभेद के अपराध का उन्मूलन और दण्ड से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय 1973; यन्त्रणा अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दण्ड के विरुद्ध अभिसमय 1984, बाल अधिकारों से सम्बन्धित अभिसमय 1989, सभी प्रवासी (प्रवासी) कामगारों और इनके परिवारों के अधिकारों के संरक्षण सम्बन्धी अभिसमय 1990 आदि

Scanned with CamScanner

22

श्रम संगठन (I.L.O) के तत्वाधान में मानवाधिकार से सम्बंधित कई अभिसमय अंगीकार किये गये है,
संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (United Nations Education, Scientific and Cultural Organization-UNESCO) के तत्वाधान मे कई अभिसमय अंगीकार किये गये जिनमें प्रमुख है- सार्वभौमिक प्रकाशनाधिकार अभिसमय (Universal Copy Right Convention) अपने तीन प्रोटोकोल के साथ 1952;
सेन्य संघर्ष की स्थिति मे सांस्कृतिक सम्पति के संरक्षण से सम्बंधित हेग अभिसमय 1954;
सांस्कृतिक सम्पति के अवैध आयात, निर्यात तथा स्वामित्व के अन्तरण के प्रतिषेध और निवारण के उपाय से सम्बन्धित अभिसमय 1970,
विश्व की सांस्कृतिक और नैसर्गिक विरासत के संरक्षण से सम्बन्धित अभिसमय आदि 1972 आदि।

क्षेत्रीय विकास (Regional Development)

क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से मानवाधिकार सम्बन्धी क्रिया कलाप तीन क्षेत्रों यूरोपीय क्षेत्र, उत्तरी अमेरिकी क्षेत्र और अफ्रीकी क्षेत्र, मे विकसित हुआ है। यूरोप में, कौंसिल आफ यूरोप के तत्वाधान मे, मानवाधिकार और मूल स्वतन्त्रताओं से सम्बन्धित यूरोपीय अभिसमय 1950, अमेरिका मे, अमेरिकी संगठन के तत्वाधान मे मानवाधिकार का अमेरिकी अभिसमय 1969 और अफ्रीका में, अफ्रीकी एकता संगठन के तत्वाधान में मानव और जन अधिकार से सम्बंधित अफ्रीकी चार्टर अंगीकार किये गये मानवाधिकार के क्षेत्रीय क्रिया कलाप के रूप में यूरोपियन सोसल चार्टर 1961 और पुन्टाडेल इस्टेट की घोषणा 1961 को लिया जा सकता है।

Scanned with CamScanner

मानवाधिकार : प्रकृति (Human Right : Nature)

यह कहना कि राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार के सिद्धान्त को व्यापक स्वीकृति मिली हुई यह कहना नहीं है कि ऐसे अधिकारों की प्रकृति उनके विषयक्षेत्र और उनकी परिभाषा के प्रति पूर्ण सहमति है।

क्या मानवाधिकार को दैवी (divine) नैतिक (moral) या विधिक हकदारी के रूप में देखा जाय, क्या इनकी अभिपुष्टि (Validations) अन्तःप्रज्ञा या सहजबोध (intuition), प्रथा, सामाजिक संविदा सिद्धान्त, वितरणात्मक न्याय का सिद्धान्त के द्वारा या सुख के एक पूर्वापेक्षा (pre-requisite) के रूप मे किया जाय, क्या उन्हे अविकल्प (irrevocable) या आंशिक रूप से प्रतिसंहरणीय माना जाय, क्या वे संख्या या अन्तर्वस्तु की दृष्टि से विस्तृत या सीमित होना चाहिये? ये और अन्य सम्बन्धित मुद्दे (प्रश्न) वाद-विवाद बहस के विषय है और आगे भी। तब तक रहेंगे जब तक लोक व्यवस्था (Public order) के प्रति-प्रतियोगी दृष्टिकोण और संसाधनों की कमी रहेगी।

* मानवाधिकार - वर्गीकरण (Human-Rights-classification)

मानवाधिकारो का कई रूपो मे वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारो की दो प्रमुख भागों- नागरिक और राजनैतिक (ICCPR) तथा आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार (ICESCR)।

Scanned with CamScanner

1* नागरिक और राजनैतिक अधिकार (Civil and Political Rights)

नागरिक और राजनैतिक अधिकारो को परम्परागत अधिकार भी कहा जाता है इन्हे 17 वी और 18 वी सदी के सुधारात्मक सिद्धान्तो की उपज माना जाता है जो अंग्रेजी, अमेरिकन और फ्रांसीसी क्रांतियो से सम्बन्धित है।

उदार व्यक्तिवादी राजनैतिक दर्शन और अहस्तक्षेप (Laissez faire) के आर्थिक और सामाजिक सिद्धान्त से अनुप्राणित होकर यह मानवाधिकार की कल्पना नकारात्मक ("से स्वतन्त्रता" (Freedom from) न कि सकारात्मक ("का अधिकार right to) पद मे करता है। यह मानव गरिमा की खोज में राज्य के प्रविरति (abstention) के पक्ष में है न कि राज्य के हस्तक्षेप के पक्ष में नागरिक और राजनैतिक अधिकारो मे प्रधान तथा वही अधिकार आते है जिनका उल्लेख मानव अधिकारो की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 2 से 21 मे किया गया है और जिनकी विवेचना "मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा की अन्तर्वस्तु" की गई है।

2* आर्थिक, सामाजिक और सास्कृतिक अधिकार (Economic, social and cultural Rights) आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के कार्यक्रमिक (programmatic) अधिकार भी कहा जाता है। इनकी उत्पति प्रधानतया, समाजवादी परम्पराओ, क्रांतिकारी संघर्षो और लोक कल्याणकारी आन्दोलनो में खोजी जा सकती है। बड़े पैमाने पर ये पूँजीवादी विकास के दुष्प्रयोग और दुर्व्यवहार की प्रतिक्रियाये है और जिसका परिणाम कामगार (working class) और औपनिवेशिक लोगों के शोषण मे हुआ। ऐतिहासिक रूप से ये नागरिक और राजनैतिक अधिकारो के प्रतिस्थानी (counter part) है। इनकी संकल्पना सकारात्मक न कि नकारात्मक पदों के रूप मे की गई है। ये राज्य के प्रतिविरति (abstention) नही अपितु हस्तक्षेप की अपेक्षा करते है ताकि इसमें अन्तर्ग्रस्त मुल्यों के उत्पादन और विभाजन मे साम्यिक (equitable) सहभागिता सुनिश्चित की जा सके।

Scanned with CamScanner

आर्थिक और सामाजिक अधिकारो की सूची मानवाधिकार के सार्वभौम घोषणा के अनु० 22 से 27 में पायी जा सकती है, मानवाधिकारों को एक अन्य तरीके से भी विभाजित किया जा सकता है- नकारात्मक और सकारात्मक अधिकार।

3 ✱ नकारात्मक अधिकार (Negative Rights) नागरिक और राजनैतिक अधिकारो को नकारात्मक अधिकार भी कहा जाता है। नकारात्मक इन अर्थों में कि इन अधिकारो को सुनिश्चित करने के लिये राज्य के सकारात्मक कार्यवाही (affirmative action) की आवश्यकता नही होती। लेकिन नागरिक और राजनैतिक अधिकारो की श्रेणी मे कुछ ऐसे अधिकार है जिन्हें हम पूर्णतया नकारात्मक अधिकार की परिधि मे नही ला सकते उन्हे सुनिश्चित करने के लिये राज्य की कुछ सकारात्मक कार्यवाही आवश्यक है, जैसे व्यक्ति की सुरक्षा का अधिकार (the right to security of person), त्वरित और लोक विचारण का अधिकार (right to fair and public trial) स्वतन्त्र चुनाव का अधिकार (right to free election), उत्पीड़न से बचने के लिये को अधिकार (right to asylum from persecution).

4 ✱ सकारात्म अधिकार (Positive Rights) आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को सकारात्मक अधिकार भी कहा जाता है। सकारात्मक इन अर्थों मे कि इन अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिये राज्य द्वारा सकारात्मक कार्यवाही (affirmative action) की आवश्यकता होती है।

उदाहरणस्वरूप काम का अधिकार (right to work)। यदि यह अधिकार लोगो को सुनिश्चित करना है तो राज्य को रोजगार के अवसर या रोजगार की परिस्थितियाँ पैदा करनी होगी तभी कार्य का अधिकार वास्तविकता में बदला जा सकता है। इसी प्रकार शिक्षा का अधिकार (right to eduction)। शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिये विद्यालय चाहिये, पाठ्यपुस्तकें चाहिये, अध्यापक चाहिये, पुस्तकालय एवं

Scanned with CamScanner

अन्य सामग्री चाहिये। राज्य सरकार को इन पदों पर पैसा खर्च करना होगा।

जिस प्रकार नागरिक और राजनैतिक अधिकारों की सूची में सभी अधिकारों को नकारात्मक अधिकार नहीं माना जा सकता उसी प्रकार आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की सूची में सभी अधिकारों को सकारात्मक अधिकार की संज्ञा नहीं दी जा सकती। उदाहरण स्वरूप, नियोजन के स्वतन्त्र चयन का अधिकार (right to free choice of employment), श्रम संघ के निर्माण और उसका सदस्य बनने का अधिकार (right to form and join trade Unions) और राज्य के सांस्कृतिक जीवन में स्वतन्त्र रूप से सहभागिता का अधिकार (the right freely to participate in the cultural life to the community) इनके लिये राज्य के सकारात्मक कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

मानव अधिकारों का एक और प्रकार से भी विभाजन किया जाता है प्रथम पीढ़ी के अधिकार, द्वितीय पीढ़ी के अधिकार एवं तृतीय पीढ़ी के अधिकार।

* प्रथम पीढ़ी के अधिकार (First Generation Rights) अधिकारों की जो संकल्पना (मानव अधिकारों के रूप में) विकसित हुई इसमें नागरिक और राजनैतिक अधिकार सर्व प्रथम आते हैं। इसी नाते नागरिक और राजनैतिक अधिकारों को परम्परागत अधिकार भी कहा जाता है। अतः नागरिक और राजनैतिक अधिकारों को प्रथम पीढ़ी का अधिकार भी कहा जाता है। अन्य प्रकार के अधिकारों की संकल्पना तो बाद में आयी।

* द्वितीय पीढ़ी के अधिकार (Second Generation Rights) आर्थिक और सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों को दूसरी पीढ़ी का अधिकार माना जाता है। इनके विकास का कारण पूँजीवादी व्यवस्था की बुराइयाँ और समाजवादी परम्परायें, क्रांतिकारी संघर्ष और लोक कल्याण की संकल्पना रही है। इन अधिकारों का अपने आप में कोई विशेष

Scanned with CamScanner

अर्थ नही अधिकारों को और प्रभावशाली बनाने के लिये हुआ।
नागरिक अधिकारो का अपने आप मे कोई विशेष अर्थ नही जबतक कि व्यक्ति के पास आर्थिक और सामाजिक अधिकार न हो। एक दूसरे का पूरक है। चूकि आर्थिक और सामाजिक अधिकारो का विकास नागरिक और राजनैतिक अधिकारो के बाद का है अत: उन्हे दूसरे पीढी का अधिकार माना जाता है।

* तृतीय पीढ़ी के अधिकार (Third Generation Right)

तृतीय पीढी के अधिकारो को सामाजिक सुदृढता (भाईचारा) का अधिकार भी कहा जाता है। इन अधिकारों को 20 वी सदी के उत्तरार्ध में राष्ट्र राज्य (Nation-State) के उदय और पतन दोनो का उत्पाद माना जाता है। ये सभी अधिकार अभी अपने निर्माण काल मे ही है, (Still in formation), मानव अधिकारो की सार्वभौम घोषणा के अनु० 28 में प्रतिच्छादित (Foreshadowed) जो यह उद्घोषित करता है कि "प्रत्येक व्यक्ति ऐसी सामाजिक और अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का हकदार है जिसमें इस घोषणा में वर्णित अधिकारो और स्वतन्त्रताओ को पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सकता है" इन अधिकारो मे ऐसा प्रतीत होता है, कि दावाकृत (Claimed) अधिकार समाविष्ट है। इनमे से तीन तीसरी दुनिया के राष्ट्रीय के उभार को प्रतिबिम्बित करते है। यह उसकी इस माग को भी प्रतिबिम्बित करते है जो कि शक्ति, सम्पदा और अन्य मूल्यो के सार्वभौमिक पुर्नवितरण की मॉग करते है। ये तीनो अधिकार है- राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आत्म निर्णय का अधिकार (right to political economic, social and cultural self determination);
आर्थिक और सामाजिक विकास का अधिकार (right to economic and social development);
"मानवता की साझा विरासत" (Common Heritage of Mankind) मे सहभागी बनने और उसका लाभ प्राप्त करने का अधिकार the right to participate in and benefit from Common heritage of mankind".

Scanned with CamScanner

28

मानवता की साझा विरासत में सम्मिलित है - भागित पृथ्वी, अन्तरिक्ष संसाधन (Shared Earth space resources), वैज्ञानिक, तकनीकी एवं अन्यसूचना और प्रगति एवं सांस्कृतिक परम्परायें, भवनस्थल तथा कीर्तिस्तम्भ (scientific technical and other information and progress and cultural tradition sites and monuments) ।

तीसरी पीढ़ी के अन्य तीन अधिकार है - शांति का अधिकार (the right to peace), स्वस्थ और संतुलित पर्यावरण का अधिकार the right to a healthy and balanced environment) एवं घोर विपत्ति के समय मानवीय सहायता का अधिकार (right to humanitarian disaster relief) ये सभी दावाकृत अधिकार सामूहिक अधिकार के रूप मे माने जाते है जिसके लिये सभी सामाजिक शक्तियो के संगठित प्रयास की अपेक्षा है।

मानवाधिकार - महत्व (Human Rights - Importance)

मानव अधिकारों का महत्व आज निर्विवाद है। अधिकार एक ऐसी व्यवस्था है जो मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। विश्व प्रसिद्ध अनेक दार्शनिको ने इसकी महिमा का गुणगान किया है। अधिकारो की बात करते हुये,

हैराल्ड लास्की ने कहा कि अधिकार एक ऐसी व्यवस्था है जिसके बिना सामान्यत: कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नही कर सकता ।

मानव अधिकारों का महत्व इसी बात पर टिका हुआ है। रोटी, कपड़ा और मकान जहाँ मानव के लिये अपरिहार्य है, वहीं इनके अतिरिक्त कुछ और चीजे भी है जो उसे गरिमामय जीवन व्यतीत करने मे मदद करती है और उनके मानवाधिकार कायोगदान सराहनीय है।

मानवाधिकार की जो स्थित आज है, वह व्यक्ति के राज्य की महती शक्ति के विरुद्ध सदियों के संघर्ष का परिणाम है। मानवाधिकार का महत्व इस बात से भी आँका जा सकता है कि द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्त के पश्चात जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तो मानवाधिकार के सम्वर्धन और संरक्षण को इसने अपने प्रमुख उद्देश्यों में रखा। अपने आगे आनेवाली पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाने के लिये राष्ट्र संघ ने मूल मानव अधिकारों के प्रति मानव की गरिमा और महत्व के प्रति अपनी निष्ठा की अभिपुष्टि की। मूलवंश, लिंग भाषा या धर्म के आधार पर विभेद किये बिना सभी के लिये मानव अधिकारों और मूल स्वतन्त्रताओं के प्रति सम्मान की अभिवृद्धि और इसे प्रोत्साहित करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की कामना की। पिछले 25 वर्षों में मानवाधिकार की संकल्पना हमारे राष्ट्रों के बीच सम्बन्ध की सोच का एक स्थायी अंग बन चुकी है।

मानवाधिकार, अब एक राजनैतिक और नैतिक संकल्पना ही नहीं रही यह एक विधिक सकल्पना भी है। यह आश्चर्यजनक बात नहीं है, मानवाधिकार अब विकसित होते हुये विधिशास्त्रीय साहित्य का विषयवस्तु बन गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद अब अधिकांश विद्वानों का मानना है कि मानवाधिकार व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध अधिकार प्रदान करते है। अपने इस दावे की पुष्टि में वे अनेकानेक संधियों, अभिसमयों, संयुक्त राष्ट्र संघ के संकल्पों की ओर इंगित कर सकते हैं जो व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के अधिकारों की गारन्टी देते हैं।

Scanned with CamScanner